कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्याःएम0ई0–3 / यू0जी0–2024 / 2315 लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर,2024

यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 की तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैं कि च्वाइस फिलिंग के पूर्व सम्बन्धित कालेज के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस फिल एवं लॉक करें।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों की सीटो पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, अल्पसंख्यक / गैर–अल्पसंख्यक कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क **(Fee Structure)** विभागीय वेबसाईट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही च्वाईस फिल **(Choice Fill)** करें।
- रिट याचिका संख्या–6828 / 2024 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल एण्ड एलाईड साइन्सेज कालेज वेलफेयर एसोसियएशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.8.2024 के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2024 / 1667 दिनांक 17.8.2024 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक संस्थानों के शुल्क निर्धारण के संबंध में अति महत्वपूर्ण सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उक्त सूचना के अवलोकनोंपरांत ही च्वाइस फिल एवं लॉक करें।
- यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के अन्तर्गत प्रथम / द्वितीय / तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण / सिक्योरिटी धनराशि निर्धारित तिथियों तक जमा की गयी है एवं उनके **Documents Online Verification** के उपरान्त वैध पाये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह हैं।
- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन **Choice Fill** की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- **अभ्यर्थी द्वारा Choice Lock करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।**
- प्रथम / द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जो तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन **(Reshuffle)** अर्थात कालेज / पाठ्यक्रम **Upgrade** करने के इच्छुक है, वह उस कालेज / पाठ्यक्रम की च्वाइस न भरे, जिसमें उनके द्वारा प्रवेश लिया गया है, अन्यथा की स्थिति में यदि पूर्व प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी।

- अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार अभ्यर्थी को यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत् बनी रहेगी।
- **तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की अनावंटित (Unallotted)/अप्रवेशित (Not reported) एवं त्याग–पत्र (Resign) सीटें Clear-cut Vacancy के तौर पर प्रदर्शित होगी।**
- तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में अभ्यर्थियों को **Seat Against Cancellation (SAC)** का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। **SAC** सीटें एक प्रकार की **Virtual vacancies** है, जिसके अन्तर्गत च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी की रिक्त सीटों के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्या–I/700717/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024 में निहित तालिकानुसार आमेलित **(Merg)** करते हुये आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** तथा **www.upneet.gov.in** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक।

संख्या:एम0ई0–3/ग0जी0–2024/